संख्या–1110/सत्तर–6–2014–89/2014

प्रेषक,

दिलीप कुमार श्रीवास्तव
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

उ०प्र० राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ
संख्या 331 /रा०उ०शि०प०
दिनांक 18-3-14

सेवा में,

कुलसचिव,
वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय,
जौनपुर

उच्च शिक्षा अनुभाग–6

लखनऊ : दिनांक 01 अगस्त, 2014

विषयः महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता प्रस्तावों के निस्तारण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नये महाविद्यालयों/संस्थानों को खोले जाने तथा स्थापित महाविद्यालय/संस्थानों में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त पाठ्यक्रमों व विषयों को प्रारम्भ किये जाने हेतु राज्य सरकार को उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 यथासंशोधित की धारा–37(2) के परन्तुक के अधीन पूर्वानुमति दिये जाने की व्यवस्था थी। उक्त व्यवस्था के अन्तर्गत सत्र, 2014–2015 हेतु निर्धारित समय सारणी के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावों पर प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा की अध्यक्षता में गठित सम्बद्धता समिति की बैठक दिनांक 03 जून, 2014 में यह संस्तुति की गयी थी कि विश्वविद्यालय/सम्बद्धता समिति द्वारा पाई गयी कमियों के सम्बन्ध में विशेष सचिव, उच्च शिक्षा द्वारा प्रबन्धतंत्र को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए मामले में सुनवाई करने के उपरान्त अपनी संस्तुति दी जाय। उक्त के क्रम में वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर से सम्बन्धित महाविद्यालय के प्रबन्धतंत्र को दिनांक 30 जून, 2014 को विशेष सचिव, उच्च शिक्षा द्वारा सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। सुनवाई करने के उपरान्त प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर निम्नवत् संस्तुति की गयी हैः–

क्रम	महाविद्यालय का नाम	पाठ्यक्रम	विश्वविद्यालय की आख्या/विभागीय सम्बद्धता समिति द्वारा पायी गयी कमियां	संस्तुति
1–	सर्वोदय विद्यापीठ महाविद्यालय, मीरगंज, जौनपुर	बी0ए0 (प्रपत्र–बी)	1– विश्वविद्यालय की आख्यानुसार महाविद्यालय की भूमि के सम्बन्ध में राजभवन से प्राप्त शिकायत पर जिलाधिकारी, जौनपुर से जांच आख्या प्राप्त की जा रही है। जांच आख्या अद्यतन अप्राप्त है। 2– प्राचीन इतिहास विषय में प्रवक्ता का अनुमोदन एम0फिल0 के आधार पर हुआ है, जो शासनादेश दिनांक 31 दिसम्बर, 2010 तथा यू0जी0सी0 विनिमय 2010 के अनुरूप नहीं है।	सुनवाई के समय महाविद्यालय प्रबन्धतंत्र ने शपथपत्र के माध्यम से यह अभिकथन प्रस्तुत किया है कि महाविद्यालय के नाम 2.0260 हेक्टेयर भूमि राजस्व अभिलेखों में बैनामा के आधार पर अंकित है। यह भी अभिकथन किया गया है कि महाविद्यालय के नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित भूमि पर किसी न्यायालय द्वारा कभी प्रतिकूल प्रभाव/आदेश होने पर महाविद्यालय की स्थायी सम्बद्धता समाप्त कर दी जाय, जिससे महाविद्यालय को कोई आपत्ति नहीं होगी।

.....क्रमशः

				चूंकि महाविद्यालय पूर्व संचालित है। अतः प्रबन्धक द्वारा दिये गये शपथपत्र के क्रम में महाविद्यालय को बी0ए0 पाठ्यक्रम में दिनांक 01–07–2014 से सम्बद्धता की पूर्वानुमति की संस्तुति प्रपत्र–बी में इंगित कमियों की पूर्ति की शर्त के साथ की जाय कि उक्त सम्बद्धता की पूर्वानुमति महाविद्यालय की भूमि के सम्बन्ध में योजित वाद में मा0 न्यायालय के अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।
2	मथुरा राय महिला महाविद्यालय, मालटारी, आज़मगढ़	एम0ए0 (समाजशास्त्र एवं गृहविज्ञान) (प्रपत्र–बी)	महाविद्यालय को याचित विषयों में विश्वविद्यालय के पत्र दिनांक 23–08–2013 द्वारा कुल भूमि 50840 हेक्टेयर के सापेक्ष अनापत्ति प्रमाणपत्र निर्गत किया गया है, जिसमें 02 गाटा रकबा 0.3050 हे0 है। गाटा संख्या–6क में महाविद्यालय सहखातेदार है, जिसमें महाविद्यालय का हिस्सा 0.024 हे0 अंकित है। इस प्रकार इन तीनो गाटों का क्षेत्रफल 0. 3290 हे0 होता है। यह तीनों गाटे आपस में सटे हैं। उक्त के अतिरिक्त गाटा संख्या–39 रकबा 0.255 हे0 भूमि जो सुरेश राय के नाम है, महाविद्यालय के नाम 30 वर्ष की लीज–डीड की गयी है, जो शासनादेश दिनांक 21 अक्टूबर, 2005 की व्यवस्थानुसार मान्य नहीं है। इस प्रकार महाविद्यालय के पास शासनादेशानुसार विधितः भूमि उपलब्ध नहीं है।	सुनवाई के समय महाविद्यालय के प्रबन्धतंत्र द्वारा शपथपत्र के माध्यम से यह अभिकथन किया गया है कि महाविद्यालय के नाम कुल भूमि 0.5080 हे0 उपलब्ध है, जिसमें से 0.255 हे0 भूमि रजिस्टर्ड लीज–डीड के माध्यम से उपलब्ध है। उक्त लीज भूमि की रजिस्ट्री निकट भविष्य में महाविद्यालय के नाम करा लिया जायेगा। चूंकि महाविद्यालय वर्ष 2002 से संचालित है तथा बी0ए0 पाठ्यक्रम में स्थायी मान्यता प्राप्त है। अतः याचित विषयों में दिनांक 01–07–2014 से आगामी दो वर्षो हेतु सम्बद्धता की पूर्वानुमति इस शर्त के अधीन प्रदान की जाती है कि महाविद्यालय द्वारा यथासमय लीज–डीड की भूमि को राजस्व अभिलेखों में विधितः महाविद्यालय के नाम अंतरित करा लिया जायेगा।
3	बाबू के0पी0 सिंह महाविद्यालय खेमऊपुर चण्डेश्वर आजमगढ़	बी0ए0 (प्रपत्र–बी)	भूमि खतौनी में न तो महाविद्यालय के नाम है और न ही महाविद्यालय को संचालित करने वाले ट्रस्ट के नाम है। भूमि श्री देवी प्रसाद के नाम है, जिनके द्वारा 30 वर्ष का पट्टा महाविद्यालय के लिए किया गया है, जो शासनादेश दिनांक 21 अक्टूबर, 2005 की व्यवस्था के अनुरूप नहीं है।	सुनवाई के समय महाविद्यालय के प्रबन्धक ने शपथपत्र के माध्यम से यह अभिकथन किया है कि महाविद्यालय के पक्ष में लीज–डीड की गयी भूमि को बैनामा के माध्यम से राजस्व अभिलेखों में महाविद्यालय के नाम अंतरित करा लिया गया है। साक्ष्य स्वरूप बैनामा की प्रति एवं खटवार्षिकी खतौनी की मूलप्रतिलिपि संलग्न किया गया है। इस प्रकार पाई गयी कमियों का निराकरण हो गया है।

.....क्रमशः

				अतः महाविद्यालय को बी0ए0 पाठ्यक्रम में दिनांक 01–07–2014 से आगामी तीन वर्षों हेतु सशर्त सम्बद्धता की पूर्वानुमति की संस्तुति की जाती है।
4	मां दुलारी देवी विधि महाविद्यालय, हमीदपुर (शहीदवारा) रानी की सराय, आज़मगढ़	एल0एल0बी0 (त्रिवर्षीय) (प्रपत्र–बी)	1– निरीक्षण आख्या लगभग दो वर्ष पुरानी दिनांक 10 जून, 2012 की है। 2– निरीक्षण आख्या में महाविद्यालय में मूटकोर्ट होने का उल्लेख नहीं है। 3– अग्निशमन यंत्र का प्रमाणपत्र अद्यतन नवीनीकृत नहीं है। 4– महाविद्यालय में विधि पाठ्यक्रम हेतु एक भी शिक्षक अनुमोदित नहीं है। विधि त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम हेतु शासनादेश दिनांक 17 अक्टूबर, 2007 के प्रस्तर–3(2) में निम्नवत् व्यवस्था है:– "प्रत्येक विधि महाविद्यालय को खोलने के सम्बन्ध में प्रथम वर्ष हेतु एक पूर्ण कालिक प्राचार्य तथा कम से कम दो पूर्ण कालिक प्रवक्ता की नियुक्ति पर विश्वविद्यालय का अनुमोदन लेना होगा। महाविद्यालय के खोलने के तीसरे वर्ष हेतु दो और पूर्ण कालिक प्रवक्ता की नियुक्ति पर विश्वविद्यालय का अनुमोदन लेना होगा।	सुनवाई के समय महाविद्यालय की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। चूंकि विधि पाठ्यक्रम एक विशिष्ट प्रकृति का व्यवसायिक पाठ्यक्रम है। इसमें उच्च स्तर की शैक्षणिक गुणवत्ता एवं उच्च स्तर की अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध होना आवश्यक हैं। अतः विश्वविद्यालय को निर्देशित कर दिया जाय कि महाविद्यालय का अद्यतन निरीक्षण कराकर प्रकरण का विश्वविद्यालय स्तर से नियमानुसार निस्तारण करायें।
5	राम नगीना किसान महाविद्यालय, मुड़ियारी, जखनियां गाजीपुर	बी0पी0एड0 (विस्तरण)	महाविद्यालय को याचित पाठ्यक्रम में पहली बार शासन के पत्र दिनांक 19 अगस्त, 2011 द्वारा दिनांक 01–07–2011 से आगामी एक वर्ष हेतु सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान की गयी। इस पाठ्यक्रम में विश्वविद्यालय द्वारा छात्र आवंटित न करने के कारण अभी तक एक वर्ष में भी प्रवेश नहीं लिया गया है। विश्वविद्यालय द्वारा वर्षानुवर्ष सम्बद्धता विस्तरण का प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाता रहा है।	महाविद्यालय को बी0पी0एड0 पाठ्यक्रम में वर्ष 2011 में पहली बार सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान की गयी थी, तद्पश्चात इस पाठ्यक्रम में छात्र आवंटन न होने के कारण वर्षानुवर्ष विस्तरण किया जाता रहा है। विश्वविद्यालय द्वारा यह अवगत कराया गया है कि बी0पी0एड0 पाठ्यक्रम में छात्रों द्वारा प्रवेश न लिये जाने के कारण महाविद्यालयों को छात्र आवंटित नहीं किये जा रहे हैं। अतः उक्त के दृष्टिगत महाविद्यालय को अन्तिम बार सत्र 2014–15 की सम्बद्धता विस्तरण की संस्तुति की जाती है।

.....क्रमशः

विशेष सचिव द्वारा की गयी संस्तुतियों जो महाविद्यालय के नाम के सम्मुख अंकित हैं, को राज्य सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

2– उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम–2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 की धारा–37 (2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पूर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया गया है।

3– उक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार उक्त संस्तुतियों के क्रम में कार्यवाही/सम्बद्धता के आदेश अपने स्तर से निर्गत किये जाने हेतु तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करायें ताकि सत्र, 2014–2015 के संचालन में व्यवधान उत्पन्न न हो।

भवदीय,

(दिलीप कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

संख्या–1110(1)/सत्तर–6–2014, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
(3) सचिव/प्रबन्धक, संबंधित समस्त महाविद्यालय।
(4) अपर सचिव, उच्च शिक्षा परिषद, इंदिरा भवन, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शन हेतु।
(5) निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उ0प्र0शासन।
(6) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(दिलीप कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।